छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 89 प्रकरण क्रमांक–**SM-URP-2025-02718**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अभिनन्दन गैलेक्सी'' प्रमोटर–मेसर्स अभिनन्दन डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री पारस ओस्तवाल, पता–कुआँ चौक, नंदई रोड, जिला–राजनांदगांव(छ.ग.)
प्रोजेक्ट ''अभिनन्दन गैलेक्सी'' पता–जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
28/05/2025	– प्रकरण प्रस्तुत । – रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा के प्रतिवेदन दिनाँक 07.02.2025 के अनुसार पाया गया है कि अनावेदक/प्रमोटर मेसर्स अभिनन्दन डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री पारस ओस्तवाल, पता–कुआँ चौक, नंदई रोड, जिला–राजनांदगांव (छ.ग.) छ.ग. रेरा में पंजीयन क्रमांक–PCG RERA250618000318 के रूप में दिनाँक 25.06.2018 से पंजीकृत कराया गया है। उल्लेखनीय है कि दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि दिनाँक 14.01.2025 में अभिनन्दन गैलेक्सी कॉलोनी, जिला–राजनांदगांव के बाउंड्रीवाल के भीतर स्वीकृत अभिन्यास के अतिरक्त अन्य 22 एकड़ भूमि में अवैध प्लाटिंग किये जाने तथा अवैध कॉलोनी का नाम भी अभिनन्दन गैलेक्सी रखने की खबर प्रकाशित किया गया है। भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 (1) के प्रावधान अनुसार रेरा में पंजीयन के बिना किसी भी भूखण्ड, अपार्टमेंट या भवन आदि को किसी भी रीति से विज्ञापित, विपणित, बुक, विक्रय या विक्रय करने की प्रस्थापना अथवा किराये के लिये व्यक्तियों को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकरण से अनुरोध किया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम की धारा–3 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–59 के अंतर्गत अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाये। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – प्राधिकरण द्वारा अनावेदक द्वारा प्रमोटर के दायित्वों का अधिनियम	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 89 प्रकरण क्रमांक–**SM-URP-2025-02718**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अभिनन्दन गैलेक्सी'' प्रमोटर–मेसर्स अभिनन्दन डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री पारस ओस्तवाल, पता–कुआँ चौक, नंदई रोड, जिला–राजनांदगांव(छ.ग.)

प्रोजेक्ट ''अभिनन्दन गैलेक्सी'' पता–जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	अनुसार निर्वहन नहीं किये जाने के कारण अधिनियम की धारा–59 अंतर्गत दिनाँक 03.03.2025 को अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर अनावेदक को प्राधिकरण के समक्ष अपना जवाब प्रस्तुत करने और अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने बाबत् रजिस्टर्ड डाक से नोटिस प्रेषित कर सूचित किया। – प्राधिकरण द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट को विकसित किया गया है। अनावेदक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से दिनाँक 22.10.2019 को प्रोजेक्ट का कॉलोनी विकास कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है। प्राधिकरण द्वारा छ.ग. रेरा के तकनीकी से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन मंगाया गया। प्रतिवेदन अनुसार खसरा नंबर–263, 252, 294, 249, 254, 256, 264, 265, 258, 261, 264 पर श्री गणेश जैन, पिता–श्री टिकम चंद जैन, सिद्धा डेव्हलपर्स, पार्टनर–महावीर जैन, पिता–श्री ताराचंद जैन, श्रीमती अनेश्वरी जैन, पिता–स्व. श्री हीरालाल, श्री महेन्द्र कुमार ओस्तवाल, पिता–श्री ताराचंद जैन, श्री जवाहर लाल साहू, पिता–श्री सुंदर लाल, नमन वैध, पिता–श्रेयंश जैन, मीना जैन, पिता–श्री नरेश कुमार जैन, पार्श्व डेव्हलपर्स पार्टनर श्री नरेश कुमार वैध, श्री शुभम चोपड़ा, पिता–श्री आनंद कुमार चोपड़ा द्वारा अवैध रूप से प्लांटिग कार्य किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार, छ.ग. रेरा को निर्देशित किया जाता है कि श्री गणेश जैन, पिता–श्री टिकम चंद जैन, सिद्धा डेव्हलपर्स, पार्टनर–महावीर जैन, पिता–श्री ताराचंद जैन, श्रीमती अनेश्वरी जैन, पिता–स्व. श्री हीरालाल, श्री महेन्द्र कुमार ओस्तवाल, पिता–श्री ताराचंद जैन, श्री जवाहर लाल साहू, पिता–श्री सुंदर	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 89 | प्रकरण क्रमांक–**SM-URP-2025-02718**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''अभिनन्दन गैलेक्सी'' प्रमोटर–मेसर्स अभिनन्दन डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री पारस ओस्तवाल, पता–कुआँ चौक, नंदई रोड, जिला–राजनांदगांव(छ.ग.)

प्रोजेक्ट ''अभिनन्दन गैलेक्सी'' पता–जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	लाल, नमन वैध, पिता–श्रेयंश जैन, मीना जैन, पिता–श्री नरेश कुमार जैन, पार्श्व डेव्हलपर्स पार्टनर श्री नरेश कुमार वैध, श्री शुभम चोपड़ा, पिता–श्री आनंद कुमार चोपड़ा के विरूद्ध पृथक से स्व–प्रेरणा से प्रकरण दर्ज करे। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (संजय शुक्ला) **अध्यक्ष**	